[2019] 15 एस. सी. आर. 1043

/

नरेश कुमार और ओआरएस. बनाम.

जीओवीटी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2010 की सिविल अपील No.6638) 17 अक्टूबर, 2019

/

[अरुण मिश्रा**,** वाइन सरन और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।11 और 13 ए-पुरस्कार की समीक्षा-अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में रु. 4,397/- का मुआवजा देते हुए दिनांक आई. डी. 2 का एक पुरस्कार पारित किया गया था-फिर दिनांक आई. डी. 1 पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा एक समीक्षा पुरस्कार पारित किया गया, जिसमें मुआवजे की राशि को इस आधार पर आई. डी. 3,39,195/- तक कम कर दिया गया कि भूमि पर कथित अवैध संरचनाओं के संबंध में मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए था, जो गलत तरीके से आई. डी. 2-के अधिकार-के पुरस्कार द्वारा दिया गया थाःउचित नहीं-एल. ए. अधिनियम के अंतर्गत एक बार पारित होने के बाद पुरस्कार की समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है।11 अधिनियम और अंतिमता प्राप्त की थी-एकमात्र प्रावधान पुरस्कार में लिपिकीय त्रुटियों के सुधार के लिए है, बशर्ते यू/एस।13 ए-तत्काल मामले में, भूमि पर संरचना के लिए मुआवजे को अवैध संरचना होने के आधार पर दिनांक आई. डी. 1 के समीक्षा पुरस्कार द्वारा दिनांक आई. डी. 2 के पुरस्कार से काट लिया गया था, जो वास्तव में पुरस्कार की समीक्षा के बराबर था और इसे किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती का सुधार नहीं कहा जा सकता है-यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थियों की भूमि पर संरचना विधि ी या अवैध थी, केवल पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बाद ही तय किया जा सकता है, जिसे किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती का सुधार नहीं कहा जा सकता है-इस प्रकार, पुरस्कार की समीक्षा को विधि में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

/

/

/

/

/

समीक्षा-एक्सप्रेस पावर ऑफ-हेल्डःयह तय विधि है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विधि इसके लिए प्रावधान करता है-संबंधित विधि में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, समीक्षा की ऐसी शक्ति का प्रयोग संबंधित प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

/

1043 ए.

1044 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** समीक्षा पुरस्कार भूमि अधिग्रहण अधिनियम**, 1894** की धारा **13** ए के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता था**,** जो केवल किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती के सुधार के लिए है।अधिनियम में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत **14.07.2004** दिनांकित उक्त आदेश पारित किया जा सकता था।**[**पैरा **9] [1048-**सी**]2.** वर्तमान मामले में**,** भूमि पर संरचना के लिए मुआवजे को अवैध संरचना होने के आधार पर समीक्षा पुरस्कार द्वारा दिनांक **2** के पुरस्कार से काट लिया गया है**,** जो वास्तव में पुरस्कार की समीक्षा के बराबर है और इसे किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती का सुधार नहीं कहा जा सकता है।यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थियों की भूमि पर संरचना कानूनी या अवैध थी**,** केवल पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बाद ही तय किया जा सकता था**,** जिसे सुधार को किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती का सुधार नहीं कहा जा सकता है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम**, 1894** के अंतर्गत पुरस्कार की समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण**,** समीक्षा पुरस्कार सं**.16/03-04** विधि में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।**[**पैरा **10] [1048-**डी-ई**]**

/

/

/

3. अधिनियम की धारा **12** में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कलेक्टर का पुरस्कार कलेक्टर के कार्यालय में दाखिल किए जाने पर अंतिम हो जाएगा**,** जिसके बारे में कलेक्टर इच्छुक व्यक्तियों को तत्काल सूचना देगा।इस मामले के तथ्यों से**,** यह स्पष्ट है कि आई**.** डी**. 1** दिनांकित पुरस्कार**,** जिसमें से अपीलार्थियों को उचित सूचना दी गई थी और उसके अनुसरण में अपीलार्थियों को आंशिक मुआवजे का भी भुगतान किया गया था**,** अंतिम हो गया था और इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी**,** और वह भी छह महीने की अवधि के बाद**,** जिसके भीतर केवल लिपिक या अंकगणितीय गलतियों को ठीक किया जा सकता था।**[**पैरा **11] [1048-**एफ-जी**]**

/

/

कलाभारती विज्ञापन बनाम हेमंत विमलनाथ

नरीचनिया (2010) 9 एस. सी. सी. 437:[2010] 10 एस. सी. आर. 971-पर निर्भर।

/

संदर्भित निर्णय

[2010] 10 एस**.** सी**.** आर**. 971** पैरा **12** ए पर निर्भर था।

/

1045

नरेश कुमार और ओआरएस. बनाम.जीओवीटी। दिल्ली ए. एन. सी. टी.

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील No.6638

2010

डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.03.2010 से। (ग) 2009 की सं. 381

सह

/

2010 की सिविल अपील सं. 6637।

पुरूषेंद्र कौरव, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. के. त्यागी, पी. नरसिम्हन, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

एस. डब्ल्यू. ए. कादरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मंजुला गुप्ता, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री सीमा बेनगनी, अनस जैद, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वाइन सारन**,** जे।

1. इन अपीलों में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत , अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत पुरस्कार पारित होने के बाद, पुरस्कार की समीक्षा अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत की जा सकती है, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 13 ए के अंतर्गत ।

/

2. वर्तमान अपीलों के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी, जिसके बाद अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा की गई थी।नं. वाला पुरस्कार।

16/03-04 भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में ₹3,397/- का मुआवजा प्रदान करते हुए दिनांक ₹1 पारित किया गया था, जिसमें से ₹2,194/- की राशि अपीलार्थियों को भुगतान की गई थी और ₹4 की शेष राशि, ब्याज के साथ, अभी भी भुगतान की जानी बाकी है।

/

/

3. फिर 14.07.2004 पर, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा एक समीक्षा पुरस्कार पारित किया गया, जिसमें मुआवजे की राशि को Rs.49,39,195/- इस आधार पर कम कर दिया गया कि भूमि पर कथित अवैध संरचनाओं के संबंध में मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए था, जिसे गलत तरीके से दिनांक 01.10.2003 के पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया था।इस प्रकार इस राशि की कटौती समीक्षा पुरस्कार द्वारा की गई थी।अपीलार्थी इस बात से अनजान थे कि उक्त समीक्षा पुरस्कार पारित कर दिया गया है और इस बीच,

/

/

अधिग्रहित की गई भूमि पर पेड़ों के मुआवजे के लिए 27.10.2004 का पूरक पुरस्कार अपीलार्थियों के पक्ष में Rs.45,36,781.64 पैसे की राशि के लिए पारित किया गया था।

4. इसके बाद अपीलकर्ताओं ने 2008 की रिट याचिका (सी) No.2185 दायर कर दिनांकित 27.10.2004 के पूरक पुरस्कार के संबंध में मुआवजे को जारी करने का अनुरोध किया। 14.07.2004 पर समीक्षा पुरस्कार No.16/03-04 के पारित होने के बारे में सूचित किए जाने पर, जो जानकारी अपीलार्थियों को दिनांक 18.12.2007 के एक आर. टी. आई. आवेदन के जवाब में दी गई थी, अपीलार्थियों ने तब 2009 की रिट याचिका (सी) No.381 दायर की, जिसमें दिनांकित 14.07.2004 के समीक्षा पुरस्कार को चुनौती दी गई थी।दोनों रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई और दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसे वर्तमान अपीलों अंतर्गत चुनौती दी गई है।

/

/

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत 01.10.2003 पर पुरस्कार पारित होने के बाद, अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यह अंतिम हो गया था, और

अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी। यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 13 ए के अंतर्गत लिपिकीय त्रुटियों आदि के सुधार के लिए एकमात्र प्रावधान है, जो केवल कलेक्टर को पुरस्कार में किसी भी लिपिकीय या अंकगणितीय गलती को सुधारने की अनुमति देता है, और वह भी छह महीने की अवधि के भीतर और उससे आगे नहीं।इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आई. डी. 1 दिनांकित पुरस्कार ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी और अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थियों की भूमि पर पेड़ों के मुआवजे के लिए दिनांक 1 का पूरक पुरस्कार पारित किया गया था, जो राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय ने इसे गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया है।6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिनांक 1 का पुरस्कार पारित करते समय की गई गलती को किसी भी समय ठीक किया जा सकता है, और वर्तमान मामले में, पुरस्कार में अवैध संरचना के लिए मुआवजा शामिल है, जो याचिकाकर्ता को नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि यह अधिनियम की धारा 24 के 8 वें खंड के अंतर्गत देय नहीं होगा। यह तर्क दिया गया है कि पुरस्कार में हुई गलती को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा किसी भी समय ठीक किया जा सकता है, और वर्तमान मामले में, यह सचिव, भूमि और भवन के निर्देश पर किया गया था, जिसे लेफ्टिनेंट ए द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी।

/

/

/

/

/

1047

नरेश कुमार और ओआरएस. बनाम.जीओवीटी। ओ. एफ. एन. सी. टी. दिल्ली [वाइन सरन, जे.] ए.

राज्यपाल।यद्यपि यह प्रस्तुत किया गया है कि समीक्षा पुरस्कार में कार्यवाही की सूचना अपीलार्थियों को भेजी गई थी, लेकिन अपीलार्थियों द्वारा इसका खंडन किया गया है, जिन्होंने इस प्रकार तर्क दिया है कि उन्हें समीक्षा पुरस्कार की कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

7. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

/

8. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत पारित किए गए पुरस्कार की समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है और यह अंतिम रूप ले चुका है।एकमात्र

प्रावधान पुरस्कार में लिपिकीय त्रुटियों के सुधार के लिए है जो अधिनियम की धारा 13 ए के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जिसे 24.09.1984 से प्रभावी किया गया था।अधिनियम की सुसंगत धारा 13 ए निम्नानुसार हैः

/

13 अ. लिपिकीय त्रुटियों आदि में सुधार-(1) कलेक्टर

पुरस्कार की तारीख से छह महीने के बाद किसी भी समय, या जहां धारा 18 के अंतर्गत न्यायालय को निर्देश देने के लिए उससे अपेक्षित किया गया है, ऐसा निर्देश देने से पहले, आदेश द्वारा, पुरस्कार में किसी लिपिक या अंकगणितीय गलतियों या उसमें उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी इच्छुक व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर सुधार कर सकता हैः

/

बशर्ते कि कोई भी सुधार जो किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को मामले में प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

/

(2) कलेक्टर सभी इच्छुक व्यक्तियों को पुरस्कार में किए गए किसी भी सुधार की तत्काल सूचना देगा।

/

(3) जहां उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए सुधार के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया साबित होता है, तो इस तरह से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वापस की जाएगी और किसी भी चूक या भुगतान करने से इनकार करने की स्थिति में, उसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

/

(जोर दिया गया)

उक्त धारा 13 ए को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह पुरस्कार की समीक्षा के लिए नहीं बल्कि केवल सुधार के लिए प्रावधान है

/

पुरस्कार में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों का।धारा 13 ए की उप-धारा (1) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि उक्त सुधार किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन पुरस्कार की तारीख से छह महीने के बाद नहीं।वर्तमान मामले में, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने वास्तव में लिपिक या अंकगणितीय गलती में कोई सुधार नहीं किया है, लेकिन वास्तव में अपने समीक्षा पुरस्कार संख्या 1 द्वारा दिनांकित पुरस्कार की समीक्षा की है।16/03-04 दिनांक 14.07.2004, जिसे स्पष्ट रूप से छह महीने की ऐसी अवधि से आगे भी पारित किया गया था।

/

9. हमारे सुविचारित विचार में, समीक्षा पुरस्कार अधिनियम की धारा 13 ए के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता था, जो केवल किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती के सुधार के लिए है। अधिनियम में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत 14.07.2004 दिनांकित उक्त आदेश पारित किया जा सकता था।10. वर्तमान मामले में, भूमि पर संरचना के लिए मुआवजे को अवैध संरचना होने के आधार पर समीक्षा पुरस्कार द्वारा दिनांक 2 के पुरस्कार से काट लिया गया है, जो वास्तव में पुरस्कार की समीक्षा के बराबर है और इसे किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती का सुधार नहीं कहा जा सकता है।यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थियों की भूमि पर संरचना कानूनी या अवैध थी, केवल पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बाद ही तय किया जा सकता था, जिसे सुधार को किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती का सुधार नहीं कहा जा सकता है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत पुरस्कार की समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, समीक्षा पुरस्कार सं.16/03-04 विधि में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

/

/

/

11. अधिनियम की धारा 12 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कलेक्टर का पुरस्कार कलेक्टर के कार्यालय में दाखिल किए जाने पर अंतिम हो जाएगा, जिसके बारे में कलेक्टर इच्छुक व्यक्तियों को तत्काल सूचना देगा।इस मामले के तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि आई. डी. 1 दिनांकित पुरस्कार, जिसमें से अपीलार्थियों को उचित सूचना दी गई थी और उसके अनुसरण में अपीलार्थियों को आंशिक मुआवजे का भी भुगतान किया गया था, अंतिम हो गया था और इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी, और वह भी छह महीने की अवधि के बाद, जिसके भीतर केवल लिपिक या अंकगणितीय गलतियों को ठीक किया जा सकता था।

/

/

12. यह तय विधि है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब क़ानून इसके लिए प्रावधान करता है।संबंधित कानून में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, समीक्षा की ऐसी शक्ति ए नहीं हो सकती है

/

1049

नरेश कुमार और ओआरएस. बनाम.जीओवीटी। ओ. एफ. एन. सी. टी. दिल्ली [वाइन सरन, जे.] ए.

संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया गया।इस मामले में न्यायालय

कलाभारती विज्ञापन बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया (2010)

9 एस. सी. सी. 437, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

“……

12. यह तय कानूनी प्रस्ताव है कि जब तक कानून/नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, तब तक न्यायिक/अर्ध-न्यायिक आदेशों के मामले में समीक्षा आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है।अधिनियम में समीक्षा की स्पष्ट शक्ति प्रदान करने वाले किसी भी प्रावधान के अभाव में, यह स्पष्ट है कि समीक्षा नहीं की जा सकती थी और समीक्षा में आदेश, यदि पारित किया जाता है, तो अधिकार से बाहर, अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है।(पटेल चुनीभाई दाजीभा बनाम नारायणराव खांडेराव जांबेकर [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1457] और हरमन सिंह बनाम करम सिंह [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 641]।

/

/

13. पटेल नरशी थाकेरी बनाम प्रद्युम्न सिंहजी अर्जुनसिंहजी [(1971) 3 एस. सी. सी. 844:ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1273], मेजर चंद्र भान सिंह बनाम लताफत उल्ला खान [(1979) 1 एस. सी. सी. 321], कुंतेश गुप्ता (डॉ.) बनाम हिंदू कन्या महाविद्यालय [(1987) 4 एस. सी. सी. 525:1987 एससीसी (एल एंड एस) 491:ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 2186], उड़ीसा राज्य बनाम कम्र।लैंड अभिलेख एंड सेटलमेंट (1998) 7 एस. सी. सी. 162 और सुनीता जैन बनाम पवन कुमार जैन (2008) 2 एस. सी. सी. 705:(2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 537] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समीक्षा करने की शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है।यह विधि द्वारा या तो स्पष्ट रूप से/विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए और अधिनियम/नियमों में किसी भी प्रावधान के अभाव में, पहले के आदेश की समीक्षा

/

/

समीक्षा के रूप में अस्वीकार्य क़ानून का निर्माण है।समीक्षा का अधिकार क्षेत्र केवल क़ानून से प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार, इसके लिए किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में समीक्षा का कोई भी आदेश एक शून्य है, जो अधिकार क्षेत्र के बिना है।

/

14. इसलिए, उपरोक्त को ध्यान अंतर्गत रखते हुए, इस मुद्दे पर विधि को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि समीक्षा के लिए प्रदान किए गए किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव अंतर्गत , समीक्षा के लिए या स्पष्टीकरण/संशोधन/सुधार की आड़ अंतर्गत आवेदन को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। "

/

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि कलेक्टर द्वारा दिनांकित 01.10.2003 पुरस्कार की समीक्षा नहीं की जा सकती थी, और इस प्रकार हम

/

1050

/

[2019] 15 एस सी आर।

इन अपीलों की अनुमति दें और समीक्षा पुरस्कार No.16/03-04 में कलेक्टर द्वारा पारित 04.07.2004 दिनांकित आदेश के साथ-साथ 2008 की रिट याचिका (C) No.2185 और 2009 की रिट याचिका (C) No.381 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 04.03.2010 दिनांकित आदेश को रद्द कर दें।इस प्रकार अपीलार्थी भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के दिनांक 01.10.2003 के पुरस्कार और दिनांक 27.10.2004 के पूरक पुरस्कार के संदर्भ में दिए गए मुआवजे के हकदार होंगे।

/

लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/

/

/

/

/